

के अधीनियम, लोगों का अधिकार, लोगों के अधिकार, नामसंशोधन एवं वर्तीक एवं लोगों प्रतिशोध (ड) उचित अधिकार, विभाग, अधिकार, (प्राचीन एवं लोगों का अधिकार) हरियाणा सरकार लोगों का अधिकार, नामसंशोधन एवं वर्तीक एवं लोगों का अधिकार में अधिकार एवं लोगों का अधिकार में अधिकार सिविल विमानन विभाग

अनुबन्ध-क

## अधिसूचना

संख्या 4/4/2011-1सी०ए०.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

## भाग 1-सामान्य

1. ये नियम हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2011, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- परिभाषाएं।
  - (क) "सलाहकार" से अभिप्राय है, सलाहकार सिविल विमानन हरियाणा;
  - (ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
  - (ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
  - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य सरकार;
  - (ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,-
    - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
    - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;
    - (च) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,-
      - (i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय; अथवा
      - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा
    - (छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप-ख) सेवा।

## भाग II-सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिषिष्ट के में दर्शाए गये पद सम्मिलित होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,-
  - (क) भारत का नागरिक ; या
  - (ख) नेपाल की प्रजा ; या
  - (ग) भूटान की प्रजा ; या
  - (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो; या

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व, टांगानिका तथा जंजीवार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ.) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो या किसी अन्य भर्ती आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान, शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र तथा ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उनके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को प्रशासकीय अधिकारी के मामले में 21 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक आयु, सहायक वायुयान अभियन्ता के मामले में 24 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक आयु, सहायक हैलीकोप्टर अभियन्ता तथा फ्लाईट डिस्पैचर के मामले में 20 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक आयु का हो।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

नियुक्ति  
प्राधिकारी।

योग्यताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उपर्युक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव सम्बन्धी अहर्ताओं में आयोग के विवेक पर पचास प्रतिशत की सीमा तक ठील दी जा सकती है, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:-

(क) सहायक वायुयान अभियन्ता की दशा में,-

(i) वरिष्ठ मकैनिकों में से पदोन्नति द्वारा; या

- (ii) सीधी भर्ती द्वारा; या
  - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
  - (ख) सहायक हैलीकॉप्टर अभियन्ता की दशा में,-
    - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
    - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
  - (ग) फ्लाईट डिस्पैचर की दशा में,-
    - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
    - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
  - (घ) प्रशासकीय अधिकारी की दशा में,-
    - (i) उप अधीक्षक और मुख्य सहायक (लेखा) में से पदोन्नति द्वारा; या
    - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (2) सभी पदोन्नतियाँ जब तक अन्यथा उपबंधित न हों ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. (1) सेवा में किसी भी पद नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो परिवीक्षा। तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा;

#### परन्तु-

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;
  - (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और
  - (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की निहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,-
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
  - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,-
    - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
    - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,-

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,-

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,-

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था;

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**ज्येष्ठता।** 11. (1) सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग रूप से निश्चित की जायेगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जायेगा:

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी:-

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी जिन से वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; तथा

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति से उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उसके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को उसकी सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:-

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम, स्थानीय प्राधिकरण, अथवा विश्वविद्यालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार अथवा गैर-सरकारी निकाय:

परन्तु, सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा

(iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप वेतन, छुट्टी, पेंशन से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम तथा अन्य मामले। प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

14. (1) अनुशासन, शास्त्रियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा, सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे: अनुशासन, शास्त्रियों तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्त्रियों का स्वरूप जो लागू हो सकती हैं, ऐसी शास्त्रियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाना। टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित राजनिष्ठा की शपथ। भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, ढील देने की वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। शक्ति।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष विशेष उपबन्ध। निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आरक्षण। किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 1996, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं: निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

## परिशिष्ट क

(देखिए नियम ३)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	सहायक वायुयान अभियन्ता	-	1	1	9300-34800 + 4600 रुपये ग्रेड वेतन
2	सहायक हैलीकॉप्टर अभियन्ता	-	1	1	9300-34800 + 4200 रुपये ग्रेड वेतन
3	फ्लाईट डिस्पैचर	-	1	1	9300-34800 + 4200 रुपये ग्रेड वेतन
4	प्रशासकीय अधिकारी	1	-	1	9300-34800 + 4200 रुपये ग्रेड वेतन

## परिशिष्ट ख

(देखिए नियम १)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4

1 सहायक वायुयान अभियन्ता

- (i) विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष;
- (ii) मैट्रिक/उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; तथा
- (iii) प्रवर्ग ए. एण्ड सी. में करन्ट वायुयान रख-रखाव इंजीनियरिंग लाईसेंस/हैवी जहाज तथा जेट ईंजन में बेसिक वायुयान रख-रखाव इंजीनियरिंग प्रमाण-पत्र रखने वाला; तथा
- (iv) सहायक वायुयान अभियन्ता के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।

2 सहायक हैलीकॉप्टर अभियन्ता

- (i) विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष ;
- (ii) मैट्रिक/उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
- (iii) कम्प्यूटर का ज्ञान;
- (iv) रोटरी वायुयान तथा जैट ईंजन में बेसिक वायुयान रख-रखाव इंजीनियरिंग प्रमाण-पत्र रखने वाला;

टिप्पणी: हैलीकॉप्टर के लाईसेंस तथा रख-रखाव का 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा।

3 फ्लाईट डिस्पैचर

- (i) विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष;
- (ii) मैट्रिक/उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
- (iii) कम्प्यूटर का ज्ञान;

## पदोन्नति द्वारा:-

- (i) विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष;
- (ii) मैट्रिक/उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; तथा
- (iii) वरिष्ठ मकैनिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव और करन्ट वायुयान रख-रखाव अभियन्ता प्रवर्ग का ए. तथा सी. कैटेगरी का लाईसेंस।

## स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा:-

- प्रवर्ग ए. एण्ड सी. में करन्ट वायुयान रख-रखाव इंजीनियरिंग लाईसेंस/हैवी जहाज तथा जेट ईंजन में बेसिक वायुयान रख-रखाव इंजीनियरिंग प्रमाण-पत्र रखने वाला।

## स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा:-

- (i) विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष;
- (ii) मैट्रिक/उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
- (iii) कम्प्यूटर का ज्ञान; तथा
- (iv) रोटरी वायुयान तथा जैट ईंजन में बेसिक वायुयान रख-रखाव इंजीनियरिंग प्रमाण-पत्र रखने वाला;

टिप्पणी: हैलीकॉप्टर के लाईसेंस तथा सुपरवाईजर के तौर पर 2 वर्ष के अनुभव सहित रख-रखाव का 5 वर्ष का अनुभव।

## स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा:-

- (i) विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष;
- (ii) मैट्रिक/उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
- (iii) कम्प्यूटर का ज्ञान;
- (iv) महानिदेशक, सिविल विमानन से अनुमोदित फ्लाईट डिस्पैचर कोर्स; तथा

1 2

1

4

- (iv) महानिदेशक, सिविल विमानन से अनुमोदित फ्लाईट डिस्पैचर कोर्स ; तथा

(v) फ्लाईट डिस्पैचर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा ।

(v) सुपरवाईजर के रूप में 2 वर्ष के अनुभव सहित फ्लाईट डिस्पैचर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा ।

प्रशासकीय अधिकारी

पदोन्नति हारा:-

- उप अधीक्षक या मुख्य सहायक (लेखा) के रूप में 5 वर्ष का अनंभवः

स्थानान्तरण / प्रतिनियक्ति द्वारा:-

- (i) उप अधीक्षक या मुख्य सहायक (लेखा) के रूप में 10 वर्ष का अनुभव; तथा
  - (ii) मैट्रिक/उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।

परिशिष्ट ग  
[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	सहायक वायुयान अभियन्ता	सरकार	<p><b>1. लघु शास्तियां:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी;</li> <li>(ii) परिनिन्दा;</li> <li>(iii) पदोन्नति रोकना;</li> <li>(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वाभित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन की वसूली;</li> <li>(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना;</li> </ul>	सलाहकार	सरकार
2	सहायक हैलीकॉम्प्टर अभियन्ता		<p><b>2. बड़ी शास्तियां:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना;</li> <li>(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतनवृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;</li> <li>(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह</li> </ul>		
3	फ्लाईट डिस्पैचर				
4	प्रशासकीय अधिकारी				



परिशिष्ट घ [देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1	सहायक वायुयान अभियन्ता	(क) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	सरकार
2	सहायक हैलीकॉप्टर अभियन्ता		
3	फ्लाइट डिस्पैचर		
4	प्रशासकीय अधिकारी	(ख) अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	

हरियाणा सरकार  
 सिविल विमानन् विभाग  
 अधिसूचना  
 दिनांक 9 फरवरी, 2016

संख्या साठकाठनि० 5 / संवि० / अनु० 309 / 2016.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल विमानन् (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2011, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा सिविल विमानन् (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2016 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सिविल विमानन् (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2011 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप नियम (1) में, खण्ड (क) का लोप कर दिया जाएगा।
3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 1 के सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

डॉ० महावीर सिंह,  
 प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
 सिविल विमानन् विभाग।



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 25-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 19, 2018 (JYAISTHA 29, 1940 SAKA)

## PART-I

### Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

सिविल विमानन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2018

संख्या 2/12/2016-1सी०ए०.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2011 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सिविल विमानन (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2011 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा है) में, नियम 5 में, '40 वर्ष' अंकों तथा "शब्द के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 9, में उप-नियम (i) में खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—
  - (d) निरन्तर उड़ायन योग्यता प्रबन्धक की दशा में,—
    - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
    - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा"।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क में, खाना 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 के नीचे क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:—

1.	2.	3.	4.	5.	6.
"5	निरन्तर उड़ायन / योग्यता प्रबन्धक	—	1	1	मैट्रिक्स लैबल-7 न्यूनतम - रु० 44900.00;"

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

1.	2.	3.	4.
"5	निरन्तर उड़ायन योग्यता प्रबन्धक	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;</p> <p>(iii) कम्प्यूटर का ज्ञान;</p> <p>(iv) रोटरी हवाई जहाज तथा जैट ईंजन में बुनियादी वायुयान रख-रखाव इंजीनियरिंग लाईसेंस/ बुनियादी वायुयान रख-रखाव इंजीनियरिंग प्रमाण-पत्र रखता हो,</p> <p>(v) विमानन में कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव प्राथमिकता निरन्तर उड़ायन योग्यता प्रबन्धक संस्थान में कार्य करने वाले को दी जायेगी।</p>	<p><u>स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा:-</u></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 10+2 या इसके समकक्ष;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;</p> <p>(iii) कम्प्यूटर का ज्ञान;</p> <p>(iv) रोटरी हवाई जहाज एवं जैट ईंजन में बुनियादी वायुयान रख-रखाव इंजीनियरिंग लाईसेंस/ बुनियादी वायुयान रख-रखाव इंजीनियरिंग प्रमाण-पत्र रखता हो,</p> <p>(v) विमानन में कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव प्राथमिकता निरन्तर उड़ायन योग्यता प्रबन्धक संस्थान में कार्य करने वाले को दी जायेगी।</p>

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग में खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

1	2
"5	निरन्तर उड़ायन योग्यता प्रबन्धक"

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

1	2
"5	निरन्तर उड़ायन योग्यता प्रबन्धक"

देवेन्द्र सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
सिविल विमानन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT  
CIVIL AVIATION DEPARTMENT**

Notification

The 30th May, 2018

No. 2/12/2016-1CA.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Aviation Department (Group B) Service Rules, 2011, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Civil Aviation Department (Group B) Service (Amendment) Rules, 2018.

2. In the Haryana Civil Aviation Department (Group B) Service Rule, 2011, (hereafter called the said Rules), in rule 5, for the figure '40', the words and sign "forty-two" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 9, in sub rule (1) after clause (d), the following clause shall be added, namely:-

"(e) in case of Continuing Airworthiness Manager,-

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India".

4. In the said rules, in Appendix A, under columns 1, 2, 3, 4, 5 and 6, after serial number 4 and entries there against, the following serial number and entries there against shall be added, namely :-

1	2	3	4	5	6
"5.	Continuing Airworthiness Manager	-	1	1	Matrix Level-7 Minimum – Rs. 44900-00.”

5. In the said rules, in Appendix B, under columns 1,2,3 and 4 , after serial number 4 and entries there against, serial number and entries there against shall be added, namely:-

1	2	3	4
"5	Continuing Airworthiness Manager	(i) 10+2 with Science or its equivalent from any recognized Board; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education; (iii) Knowledge of computer; (iv) Basic Aircraft Maintenance Engineering Licence/Basic Aircraft Maintenance Engineering Certificate in Rotary Aircraft and Jet Engine preferably. (v) 5 years of working Aviation experience preferably in Continuing Airworthiness Manager Organization.	(i) By transfer/deputation 10+2 with Science or its equivalent from any recognized Board; (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education; (iii) Knowledge of computer; (iv) Basic Aircraft Maintenance Engineering Licence/Basic Aircraft Maintenance Engineering Certificate in Rotary Aircraft and Jet Engine preferably. (v) 5 years of working Aviation experience preferably in Continuing Airworthiness Manager Organization.”

6. In the said rules, in Appendix C under columns 1 and 2, after serial number 4 and entries there against, the following serial number and entries there against shall be added, namely :-

1	2
"5	Continuing Airworthiness Manager.”

7. In the said rules, in Appendix D under columns 1 and 2, after serial number 4 and entries there against, the following serial number and entries there against shall be added, namely :-

1	2
"5	Continuing Airworthiness Manager.”

DEVENDER SINGH,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Civil Aviation Department.